


राजस्थान सरकार
निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं मू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.18(आई-24)आईडब्ल्यूएमपी/निजमूस/2011/4613-43 दिनांक: 25-2-11

परियोजना प्रबन्धक,
जिला जलग्रहण विकास इकाई
एवं अधिशासी अभियन्ता (मू-संसाधन)
जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)

विषय :- जलग्रहण परियोजनाओं के विकास कार्य सम्पादित करने के सम्बन्ध में।
प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्रांक 4575-4607 दिनांक 21.02.2011 के संदर्भ में

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र में जलग्रहण परियोजनाओं में विकास कार्यों के सम्पादन हेतु जिला दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित दरों को ही उपयोग में लेने हेतु निर्देशित किया गया था। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि निर्माण सामग्री एवं श्रम दरों के निर्धारण हेतु ग्रामीण कार्य निर्देशिका में उल्लेखित जिला स्तरीय दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित नवीनतम दरों को ही उपयोग में लिया जायेगा।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक